न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राज0)

पीठासीन अधिकारीः श्री रोहिताश्व सिंह तोमर (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 27 / 2024

बउनवान

सूरजमल आयु 65 वर्ष पुत्र रामगोपाल जाति काछी (कुशवाह) निवासी बमोरीकलां तहसील मांगरोल जिला बारां **अपीलांट**

बनाम

1. कन्हैयालाल पुत्र रामगोपाल जाति काछी (कुशवाह)
2. महेश पुत्र चंपालाल जाति काछी (कुशवाह)
3. रतनबाई पुत्री रामगोपाल जाति मदनलाल जाति काछी (कुशवाह) निवासीगण बमोरीकलां तहसील मांगरोल
4. विद्याबाई पुत्री रामगोपाल पत्नी भैरूलाल जाति काछी (कुशवाह) निवासी बडोदा जिला श्योपुर मध्यप्रदेश
5. कमलाबाई पुत्री रामगोपाल पत्नी इन्दरलाल जाति काछी (कुशवाह) निवासी मेहरावता तहसील किशनगंज जिला बारां
6. राधाबाई पुत्री रामगोपाल जाति महेश जाति काछी (कुशवाह) निवासी हनुमानजी के मंदिर के पास भंवरगढ तह० किशनगंज
7. मंजुबाई पुत्री रामगोपाल पत्नी बिरधीलाल जाति काछी (कुशवाह) निवासी मंशापूर्ण हनुमानजी नान्ता बडला कोटा
8. निशा पुत्री चंपालाल पत्नी रामसिंह जाति काछी (कुशवाह) निवासी तालाब तहसील पीपल्दा जिला कोटा
9. राजेश पुत्री चम्पालाल पत्नी रामसिंह जाति काछी (कुशवाह) निवासी जालखेडा तहसील लाडपुरा जिला कोटा
10. मंगली वाई पटिन चम्पालात जाति– काछी नि० बमोरीकला
11. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल **रेस्पोडेन्ट्स**

अपील विरूद्ध नामांतरण संख्या 2238 दिनांक 31.05.2024 स्वीकृत दिनांक 18.06.2024 ग्राम बमोरीकलां

अपील अंतर्गत धारा 75 एल.आर. एक्ट

उपस्थितः 1. श्री ओमप्रकाश मेहता II अभिभाषक **(अपीलांट)**

2. श्री राजेश कुमार गुप्ता अभिभाषक **(रैस्पोडेन्ट कम 1, 3, 7)**

न्यायालय जिला कलैक्टर बारां (राज०)

निर्णय दिनांक 28.02.2025

अपीलांट की ओर से जर्ये अभिभाषक प्रस्तुत अपील संक्षेप में इस प्रकार है कि हल्का पटवारी बमोरीकलां द्वारा मृतक तीजूबाई पत्नी रामगोपाल का देहान्त दिनांक 9–10–2014 का फोती इंतकाल दिनांक 31–5–2024 को खोला गया जो तहसीलदार मांगरोल द्वारा दिनांक 18–6–2024 को तस्दीक किया गया जो अपीलांट को बिना सुने बिना तहकीकात के खोला गया है जो विधि विरूद्ध एवं न्याय के सर्वमान्य सिद्धान्तो के विपरीत होने के कारण काबिले निरस्त किये जाने योग्य है। उक्त आराजी पूर्व मे रामगोपाल पुत्र माधोलाल जाति काछी निवासी बमोरीकलां के खातेदारी एवं स्वामित्व की थी जो उसके देहान्त होने के बाद तीजू बाई को प्राप्त हुई जबकि गोपाल लाल उर्फ रामगोपाल पुत्र माधोलाल द्वारा एक वसीयत नामा / पंचनामा दिनांक 4–8–1992 को अपीलांट के पक्ष में लिखवाया गया था उसके बावजूद उक्त आराजियात के [illegible] बिना अपीलांट को सुनवाई किये उक्त नामान्तकरण हल्का पटवारी बमोरीकलां द्वारा [illegible]–5–2024 को खोला गया जो तहसीलदार मांगरोल द्वारा बिना अपीलांट [illegible] किये दिनांक 18–6–2024 को तस्दीक किया गया है जो खिलाफ कानून होने [illegible] काबिले निरस्त किये जाने योग्य है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर इंतकाल क्रमांक 2238 दिनांक 31–5–2024 तस्दीक दिनांक 18–6–2024

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2025.03.21 13:08:16 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

ग्राम बमोरी कलां निरस्त फरमाया जाकर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार मांगरोल को इस दिशा निर्देश के साथ पुनः प्रति प्रेषित किया जावे कि अपीलांट को विधिसम्मत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुये पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित किया जावे। अन्य सहायता जो न्यायोचित हो प्रदान की जावे ।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट्स को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। रेस्पो. क्रम 1, 3 व 7 जर्ये अभिभाषक उपस्थित हुए तथा शेष रेस्पोडेन्ट्स बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने पर हमने बहस उभयपक्ष विद्वान अभिभाषकगण की सुनी।

दौराने बहस अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये कथन किया कि अपीलाधीन नामान्तकरण मृतक तीजूबाई पत्नी रामगोपाल का देहान्त होने पर अपीलांट को बिना सुने बिना तहकीकात के खोला गया है। उक्त आराजी पूर्व मे रामगोपाल पुत्र माधोलाल जाति काछी निवासी बमोरीकलां के खातेदारी एवं स्वामित्व की थी जो उसके देहान्त होने के बाद तीजू बाई को प्राप्त हुई जबकि गोपाल लाल उर्फ रामगोपाल पुत्र माधोलाल द्वारा एक वसीयत नामा/पंचनामा दिनांक 4–8–1992 को अपीलांट के पक्ष में लिखवाया गया था उसके बावजूद उक्त आराजियात के संदर्भ मे बिना तहकीकात एवं बिना अपीलांट को सुनवाई किये उक्त नामान्तकरण खोला जाकर तस्दीक किया गया है जो विधि विरूद्ध एवं न्याय के सर्वमान्य सिद्धान्तो के विपरीत होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर इंतकाल कमांक 2238 दिनांक 31–5–2024 तस्दीक दिनांक 18–6–2024 ग्राम बमोरी कलां निरस्त फरमाया जाकर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार मांगरोल को इस दिशा निर्देश के साथ पुनः प्रति प्रेषित किया जावे कि अपीलांट को विधिसम्मत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुये पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित किया जावे।

दौराने बहस अभिभाषक रेस्पोडेन्ट क्रम 1, 3 व 7 ने कथन किया कि अपीलाधीन नामान्तकरण विधि सम्मत तरीक से बाद जांच खोला जाकर तस्दीक किया गया है जो पूर्णतया वैध है। अपीलांट मृतक तीजूबाई का पुत्र नहीं है। यह मृतक रामगोपाल पुत्र माधोलाल जाति काछी निवासी बमोरीकलां की पूर्व पत्नि का पुत्र है। अपीलांट द्वारा अपने पक्ष में मृतक गोपाल लाल उर्फ रामगोपाल पुत्र माधोलाल द्वारा लिखित एक वसीयत नामा/पंचनामा दिनांक 4–8–1992 होना बताया है। यदि इस तथ्य को माना भी जावे तो अपीलांट को मृतक रामगोपाल पुत्र माधोलाल जाति काछी निवासी बमोरीकलां की मृत्यु के समय खोले गये इंतकाल के समक्ष अधीनस्थ न्यायालय में पेश करना चाहिये था। अपीलांट मृतक तीजू बाई का वारिस नहीं होने से उसकी मृत्यु पर उसके वारिसान के पक्ष में खोला गया इंतकाल पूर्णतया बाद जांच एवं विधिसंगत तरीके से खोला जाकर तस्दीक किया गया है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया सम्पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। सर्वप्रथम मियाद के बिन्दु पर विचारण किया गया। न्याय हित में प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षम्य किया जाता है।

हम अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स के इस कथन से पूर्णतया सहमत हैं कि यदि अपीलांट के पास मृतक खातेदार रामगोपाल पुत्र माधोलाल जाति काछी निवासी बमोरीकलां द्वारा लिखित वसीयत थी तो उसे मृतक रामगोपाल पुत्र माधोलाल जाति काछी निवासी बमोरीकलां की मृत्यु पर खोले गये इंतकाल के समय अधीनस्थ न्यायालय में पेश करना चाहिये था। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट सारहीन होना पाई जाती है।

अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक [illegible] को [illegible] खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2025.03.21 13:08:16 IST
Reason: SelfAttested

(रोहिताश्व सिंह तोमर)
जिला कलक्टर,बारां
जिला कलक्टर
बारां (राज०)